कार्यकारी सारांश

क्लस्टर बालू घाट खनन परियोजना
क्लस्टर 1 A (पटना सोन 01 to 04)
के लिए
ग्राम – सुअरमारवा (01 और 02), चौराशि (3 और 4)
जिला-पटना, बिहार

क्लस्टर क्षेत्रफल 198.4 हेक्टेयर, उत्पादन 40,83,840 टन प्रति वर्ष

आवदेक

श्री बिजेंद्र कुमार (01 और 02), श्री भीम प्रसाद (03), रंजीत कुमार राय (04)

एनवायरनमेंट कन्सल्टेंट :

कॉग्नीज़न्स रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमटेड

(क्वालिटी कौंसिल ऑफ़ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त)

जी टी - २० सेक्टर -११७ नॉएडा उत्तर-प्रदेश

www.cognizanceindia.com

कार्यकारी सारांश

➢ परियोजना और प्रस्तावक का परिचय

बालू घाट माइनिंग परियोजना क्लस्टर 1 A (सोन 1 से लेकर सोन 4) जिला-पटना (बिहार) में में स्तिथ है।

चारो ब्लॉकों के प्रस्तावक, लीज क्षेत्र फल , घाट संख्या, प्लाट / खसरा संख्या और परियाजना स्थान का विवरण नीचे दिया गया है।

क्रम संख्या	प्रस्तावक	घाट संख्या	लीज क्षेत्र फल	प्लाट / खसरा संख्या	परियाजना स्थान
1	श्री बिजेंद्र कुमार पुत्र श्री धुपनाथ राय	1	40.3	खता नं। - 232, खसरा नंबर- 1187, थाना नं 7/112	ग्राम - सुमेरवा, मौजा - सुमेरवा, डाक - पाटीला, पी। एस - मनेर, अंचल - मनेर, जिला-पटना (बिहार)
2	श्री बिजेंद्र कुमार पुत्र श्री धुपनाथ राय	2	54.2	खता नं। - 232, खसरा नंबर- 202, थाना नं 7/112	ग्राम-सुरमर्वा, मौजा - सुमेरवा, डाक - पाटिला, पी। एस - मनेर, अंचल - मनेर जिला-पटना (बिहार)
3	श्री भीम प्रसाद	3	56	खाटा नं.- 232, खसरा नंबर -1464, थाना नं. – 7/112	ग्राम -चौराशी, मौजा - सुमेरवा, पोस्ट - पाटीला, पीएस - मनेर, अंचल - मनेर जिला-पटना में स्थित है (बिहार)
4	श्री रणजीत कुमार राय पुत्र श्री गिरजा राय	4	47.9	खता नं। - 232, खसरा नंबर- 1912, थाना नं। 7/112	चौरासी, मौजा - सुमेरवा, डाक - पाटिला, पी। एस - मनेर, अंचल - मनेर, जिला- पटना (बिहार)

इस बालू घाट माइनिंग परियोजना क्लस्टर 1A (सोन 1 से लेकर सोन 4) के चारो ब्लॉकों को सर्वप्रथम मिनरल डेवलपमेंट अफसर पटना को आवंटित किया गया था, पुनः बाद में सरकार के द्वारा नीलामी में ये चारो ब्लॉक परियोजना प्रस्तावक श्री बिजेंद्र कुमार पुत्र श्री धुपनाथ राय, श्री भीम प्रसाद और श्री रणजीत कुमार राय पुत्र श्री गिरजा राय को आवंटित कर दिया गया।

घाट संख्या 1 श्री बिजेंद्र कुमार को पत्रांक संख्या 513 दिनांक 18-02-2020 के द्वारा आवंटित किया गया । खान एवं भूतत्व विभाग के द्वारा स्थानांतरण पत्र (पत्रांक संख्या 945/M, Patna) जारी किया गया।

घाट संख्या 2 श्री बिजेंद्र कुमार को पत्रांक संख्या 514 दिनांक 18-02-2020 के द्वारा आवंटित किया गया । खान एवं भूतत्व विभाग के द्वारा स्थानांतरण पत्र (पत्रांक संख्या 945/M, Patna दिनांक 25.02.2020) जारी किया गया ।

घाट संख्या 3 श्री भीम प्रसाद को पत्रांक संख्या 510 दिनांक 18-02-2020 के द्वारा आवंटित किया गया । खान एवं भूतत्व विभाग के द्वारा स्थानांतरण पत्र (पत्रांक संख्या 942/M, Patna दिनांक 25.02.2020) जारी किया गया ।

घाट संख्या 4 श्री रणजीत कुमार राय पुत्र श्री गिरजा राय को पत्रांक संख्या 512 दिनांक 18-02-2020 के द्वारा आवंटित किया गया । खान एवं भूतत्व विभाग के द्वारा स्थानांतरण पत्र (पत्रांक संख्या 943/M, Patna दिनांक 25.02.2020) जारी किया गया ।

आवेदक ने ईआईए अधिसूचना, 2006 के तहत पर्यावरण स्वीकृति के लिए आवेदन किया है । क्लस्टर परियोजना के चारो घाटों की लागत नीचे सारणी में दी गई है।

क्रम संख्या	घाट संख्या	परियोजना की लागत
1	सोन घाट संख्या 1	3,28,00,000
2	सोन घाट संख्या 2	4,44,00,000
3	सोन घाट संख्या 3	3,97,50,000
4	सोन घाट संख्या 4	3,86,50,000
	सम्पूर्ण	15,56,00,000

पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार की ईआईए अधिसूचना, दिनांकित 14 सितम्बर 2006 जिसे दिसम्बर 2009, और अप्रैल 2011 और 2018 में संशोधित किया गया है, के अनुसार, परियोजना गतिविधि 1 ए, के तहत श्रेणी 'बी' में आती है। ड्राफ्ट ई0 आई0 ए0/ई0 एम0 पी0 21.07.2020 और 22.07.2020 को निर्देशित टी0ओ0आर0 तथा ई0 आई0 ए0 अधिसूचना के आधार पर तैयार की गई हैं। **इस खदान के द्वारा र्यावरण में होने वाले प्रभाव का आकलन करने के लिए वर्तमान स्थिति में पर्यावरण पर खान के द्वारा पड़ने वाले प्रभाव का जायजा लेना आवश्यक है।**

प्रस्ताव प्रति वर्ष लगभग 40,83,840 टन खनिज के खनन का है। प्रस्तावित परियोजना के लिए परियोजना की अनुमानित लागत 155600000 रुपये है।

➢ स्थल

क्लस्टर परियोजना के चारो घाटों के कोऑर्डिनेट्स नीचे सारणी में दिए गए है । परियोजना का यह क्षेत्र भारतीय सर्वेक्षण की टोपोशीट नम्बर 72 C/14 (G45M14)में आता ळें स्थित पट्टा क्षेत्र गया के जिला बिहार में स्थित है।

खनन पट्टे के कोऑर्डिनेट्स (Mine lease co-ordinates):

क्रम संख्या	घाट संख्या	आक्षांश देशान्तर	
1	सोन घाट संख्या 1	A	25°38' 56.01" N 84°49'58.14 " E
		B	25°39'4.45" N 84°50' 11.89" E
		C	25°38' 26.34" N 84°50'16.45 " E
		D	25°38' 38.71" N 84°49' 55.65" E
2	सोन घाट संख्या 2	A	25°38' 38.71" N 84°49'55.65 " E
		B	25°38'26.25" N 84°50' 16.55" E
		C	25°38' 4.75" N 84°50'12.69 " E
		D	25°38' 21.41" N 84°49' 41.90" E
3	सोन घाट संख्या 3	A	25°38' 21.41" N 84°49'41.90 " E
		B	25°38'4.75" N 84°50' 12.69" E
		C	25°37' 46.41" N 84°50'9.12 " E
		D	25°38' 5.73" N 84°49' 34.70" E
4	सोन घाट संख्या 4	A	25°38' 5.73" N 84°49'34.70 " E
		B	25°37'46.41" N 84°50'

			9.12" E
		C	25°37' 34.37" N 84°50'3.36 " E
		D	25°37' 51.33" N 84°49' 29.06" E

संयोजकता

पटना सबसे नज़दीक शहर है| खनन क्षेत्र में अवागमन नॅशनल हाइवे- 30 दवारा जाया जा सकता है

परियोजना की सहज विशेषतायें

2.2 परियोजना की मूल आवश्यकताएं

पानी की आवश्यकताएं	मात्रा **(KLD)**
सोन घाट संख्या 1	
पीने के पानी सम्बंधित	0.58
धूल का दमन सम्बंधित	2.4
वृक्षारोपण	2.0
संपूर्ण (सोन घाट संख्या 1)	**4.9**
सोन घाट संख्या 2	**पानी की** मात्रा **(KLD)**
पीने के पानी सम्बंधित	0.85
धूल का दमन सम्बंधित	2.4
वृक्षारोपण	2.71
संपूर्ण (सोन घाट संख्या 1)	**5.96**
सोन घाट संख्या 3	**पानी की** मात्रा **(KLD)**
पीने के पानी सम्बंधित	0.85
धूल का दमन सम्बंधित	3
वृक्षारोपण	2.8
संपूर्ण (सोन घाट संख्या 1)	**6.65**
सोन घाट संख्या 4	**पानी की** मात्रा **(KLD)**
पीने के पानी सम्बंधित	0.7
धूल का दमन सम्बंधित	1.2
वृक्षारोपण	2.3
संपूर्ण (सोन घाट संख्या 1)	**4.2**

संपूर्ण क्लस्टर 1A (सोन 1 से लेकर सोन 4)	**21.71 KLD**

2.3 खनन पद्वति का विवरण

खनन की विधि	खुली खदान **अर्ध्य** यांत्रिकीकृत
बेंच की उंचाई और चौड़ाई	उंचाई: 1.5 मीटर चौड़ाई: 6 मीटर
गड्ढो की अधिकतम गहराई	3 M

ड्रिलिंग

ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग की आवश्यकता नहीं हैं।

खनिज का उपयोग

बालू का उपयोग निर्माण कार्यो में किया जाता है सड़क निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है

- **<u>खनन</u>**

यह एक ओपन – कास्ट खनन परियोजना है। कार्य अर्ध यांत्रिकी / **ओ टी ऍफ़ एम** विधि से किया जायेगा। **एक्सकैवेटर / जेसीबी ट्रक / ट्रैक्टर संयोजन** उपकरणों का **या मैन्युअल रूप से** उपयोग किया जाएगा। ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग की आवश्यकता नहीं होगी।
खनन 3 मीटर की गहराई तक या भूजल के 3 मीटर ऊपर तक किया जाएगा ।

खनन केवल दिन में किया जाएगा और मानसून के दौरान पूरी तरह बंद रखा जाएगा।

रिजर्व

रिजर्व की गणना के लिए खनन योग्य क्षेत्र की सीमा पर विचार सतह से 3 मीटर की अधिकतम गहराई के मद्देनजर किया गया है।

उत्पादन

क्लस्टर परियोजना उत्पादन निम्न प्रकार है।

क्रम संख्या	घाट संख्या	
1	सोन घाट संख्या 1	870480 **टन प्रतिवर्ष**

2	सोन घाट संख्या 2	1170720 टन प्रतिवर्ष
3	सोन घाट संख्या 3	1008000 टन प्रतिवर्ष
4	सोन घाट संख्या 4	1034640 टन प्रतिवर्ष
	सम्पूर्ण	**4083840 टन प्रतिवर्ष**

➢ स्थल सुविधाएं एवं उपयोगिताएं

जल आपूर्ति

श्रमिकों को पीने और घरेलू उपयोग के लिए पानी उपलब्ध कराया जाएगा। धूल को दबाने के लिए भी पानी की जरूरत होगी। इस प्रस्तावित परियोजना के लिए कुल 21.79 KLD पानी की जरूरत होगी।

अस्थायी आवास :

श्रमिकों को विश्राम के लिए स्थल के नजदीक एक अस्थायी आवास उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त, श्रमिकों के लिए प्रथम उपचार दवाओं के साथ–साथ विष–रोधी दवाओं और साफ–सफाई की व्यवस्था अर्थात सेप्टिक टैंक या सामुदायिक पैखाने की सुविधा मुहैया कराई जाएगी।

पर्यावरणी स्थिति

आधाररेखा पर्यावरणी गुणत्ता का परीक्षण **मार्च** 2020 – **जून** 2020 तक मौसम के दौरान खान के चारों और 10 किलोमीटर की त्रिज्या में किया गया।

➢ बेसलाईन आंकड़े :

प्रस्तावित खनन के प्रति वायु, ध्वनि, जल, मृदा, पारिस्थितिकी और जैवविविधता के पर्यावरणीय आंकड़ों का संग्रह कर लिया गया है।

पर्यावरण की आधारिक स्थिति

विशेषता	आधारिक स्थिति
वायु गुणवत्ता	वायु गुणवत्ता के कुछ मानकों के अधिकतम मानों जैसे $PM_{2.5}$ (43.6 $\mu g/m^3$), PM_{10} (94.8 $\mu g/m^3$) है। इन मानकों के न्यूनतम मान $PM_{2.5}$ (16.1 $\mu g/m^3$), PM_{10} (31.3 $\mu g/m^3$) है, SO_2 और NO_2 का मान लिमिट के अंदर है।
शोर गुणवत्ता	शोर का अध्ययन 5 स्थानों पर किया गया। इस अध्ययन के

	परिणाम दर्शाते हैं कि दिन और रात दोनों समय में शोर के स्तर सभी स्थानों पर NAAQ(राष्टीय मानंको द्वारा) निर्धारित सीमा में थे।
जल गुणवत्ता	सभी स्रातों से भूमिगत जल पेय प्रयोजन के लिए उपयुक्त है, क्योंकि सभी अवयव भारतीय मानक आईएसः10500 के मानदण्डों के अनुसार निर्धारित सीमा से कम पाये गये। सतही जल के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि नमूनों के अधिकांश मानक सीपीसीबी के 'श्रेणी बी' मानकों के अनुसार उपयुक्त हैं, यह इंगित करता है कि ये स्नान इत्यादि के लिए उपयुक्त हैं।
मृदा गुणवत्ता	चिह्नित स्थलों से लिए गए नमूनों से पता चलता है कि मिट्टी बलुअई है और इसका pH 7.24 से 8.24 के बीच है।

➢ पर्यावरण प्रबंधन योजना (इएमपी) एवं उसका कार्यान्वयन

- बैंक के संरक्षण के लिए नदी क्षेत्र से **सुरक्षित** दूरी छोड़ दिया जाएगा तथा नदी से दूर के क्षेत्रो (Paleochannels) के संरक्षण के लिए पटटा क्षेत्र की परिधि के आसपास क्षेत्र छोड़ दिया जाएगा
- कार्य की अधिकतम गहराई क्षेत्र के भूजल स्तर के ऊपर रहेगी।
- स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों को कम करने के लिए प्रभाव क्षेत्र में श्रमिकों और आसपास के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी।
- वन्यजीव संरक्षण सुनिश्चित की जाएगी और इसके लिए जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे।
- ऐसी गतिविधियां कम की जाएंगी जिनके फलस्वरूप सूक्ष्म तलछट नदी में पहुंच सके।
- ढुलाई और निकास मार्ग के रखरखाव के चलते परिवहन पर पड़ने वाले भार पर नियंत्रण रखा जाएगा।
- परिवहन और खनिज पदार्थों के रखरखाव के दौरान उत्पन्न होने वाली गड़बड़ी को कम करने के लिए न्यूनीकरण के प्रभावशाली उपाय अपनाए जाएंगे :
- स्थानीय/मूल एवं तेजी से बढ़ने वाले जीवों के लिए सुधार कार्यक्रम का संचालन।
- मानसून ऋतु के आने के समय खनन के बंदी के दौरान नवीनीकरण योजना का क्रियान्वयन।

- संभावित आपदाओं से बचने के लिए समय पर एहतियाती उपाय अपनाने हेतु प्रभावशाली आपदा प्रबंधन योजना का क्रियान्वयन।
- पर्यावरण प्रबंधन प्रकोष्ठ द्वारा प्रभावशाली निगरानी कार्यक्रम का क्रियान्वयन।

➢ खनन के लाभ

भौतिक लाभ

प्रस्तावित परियोजना के प्रारंभ होने से आसपास के निम्नलिखित क्षेत्रों में भौतिक बुनियादी ढांचे को बढावा मिलेगा।

क. सड़क परिवहन या सड़कों संपर्क में वृद्धि

ख. खनिज से अच्छे बाज़ारी अवसर मिलेंगे।

ग. हरियाली /वृक्षारोपण को बढावा

घ. समुदायिक परिसंपत्तियों का सृजन (बुनियादी ढांचे)

सामाजिक लाभः

क) रोजगार में वृद्धि

ख) राजकोष में अंशदान (खनिज कि बिक्री से राजस्व प्राप्त होगा)

ग) स्वास्थ्य संबंधि गतिविधिया को बढावा

घ) शैक्षिक गतिविधियां बनाने और उनको बढ़ावा देने की योजना।

ड.) तत्कालीन समुदाय का सुदृढ़ीकरण सामुदायिक विकाय कार्यक्रम के माध्यम से सुविधा कार्यक्रम।

पर्यावरणीय लाभः

क) **वैज्ञानिक खनन से पर्यावरण दुष्प्रभाव में कमी।**

ख) **वैज्ञानिक खनन से** नदी के किनारों के आस पास पर उगी फसलों की सुरक्षा।

ग) अवैध खनन रोकने के उपाय।

➢ निगमित **(कार्पोरेट) सामाजिक दायित्व**

परियोजना लागत की पूंजीगत लागत का 2% (31,12,000/-) कॉर्पोरेट पर्यावरणीय उत्तरदायित्व के लिए आवंटित किया जाएगा। लोगों की जरूरतों और मांग को देखते हुए

प्रस्तावित विभिन्न गतिविधि का निर्णय लिया जायेगा जो शिक्षा, सामाजिक उत्थान, पर्यावरण बचाव,स्वास्थ्य इत्यादि से सम्बंधित होगा ।

प्रत्येक गतिविधि का निर्धारण स्थानीय प्राधिकारी और लोगों से सार्वजनिक सुनवाई के साथ चर्चा के बाद किया जाएगा।

****